

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./1440 /2018/

दिनांक :

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/लै.टे./सीधी भर्ती/2015/649 दिनांक 09.10.15 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। जिन्होंने लैब टेक्नीशियन के पद पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि (Probation Period) संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली है इनका कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 06 में उल्लेखित दिनांक से नियमित करते हुये इन्हें परीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 08 में दर्शायी गयी तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी.(रूल्स)/ 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में लैब टेक्नीशियन पद की पै मैट्रिक्स एल 8 में न्यूनतम वेतन रूपये 26300 एवं अन्य भत्ते नियमानुसार दिया जाना प्रस्तावित है:-

क्र. सं.	पदस्थान सूची क्रमांक 649 दिनांक 09.10.15 के क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	कार्य ग्रहण तिथि	परीक्षा पूर्ण करने की तिथि	2 वर्ष पश्चात परीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	112	श्री किशोर कुमार सिन्धी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आबूपर्वत (सिरोही)	12.07.1988	19.10.2015	18.10.2017	19.10.2017
2.	52	सुश्री कविता चौधरी	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सांगानेर, जयपुर द्वितीय	31.03.1992	18.04.2016	17.04.2018	18.04.2018
3.	84	श्री अंशुमन नारायण	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय डी.बी. अस्पताल एवं सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, चूरू	01.01.1986	05.11.2015	04.11.2017	05.11.2017

ह

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./1440 /2018/ 584

दिनांक : 11/10/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही/जयपुर-द्वितीय।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय डी.बी. अस्पताल एवं सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, चूरु।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सांगानेर, जयपुर द्वितीय।
4. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आबूपर्वत (सिरोही)।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
6. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर